

प्रेषक,

सेवा में,

आयुक्त,
बरेली मण्डल, बरेली।

संविधान

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
श्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक:

विषय:

महोदय,

सी०वी०एस०इ० / 2014-15 दिनांक २.५ - ८ - १४
नालंदा पश्चिम स्कूल ढोहरा रोड पीलीभीत वाईपास बरेली को सी०वी०एस०इ० नई
दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाने के सन्दर्भ में।

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्ष करते हुये अवगत कराना है कि संदर्भित विद्यालय को सी०वी०एस०इ० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 01— विद्यालय की पंजीकृत सूचायाई का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 02— विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 03— विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के ऐवाची बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ३०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् / वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न बच्चों के लिए निर्धारित गुल्क से अधिक गुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 04— संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की नांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से गान्धता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेप्ट्री एज्यूकेशन नई दिल्ली / वैसिल फार दि इण्डियन स्कूल स्टॉफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने के लिये से ३०प्र० नाम्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः शामिल हो जायेगे।
- 05— संस्था के ईकाइक एवं शिक्षापेत्तर कर्मचारियों को राजठीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुगम्य जेतानामांग तथा अन्य भूतों से कम वेतनमान तथा अन्य भूतों नहीं दिये जायेंगे।
- 06— कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशास्त्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुगम्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
- 07— राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्भर किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- 08— विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं के रखा जायेगा।
- 09— उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन / परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिवंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

मवदीव

3d/-
आयुक्त
बरेली मण्डल, बरेली।

पृष्ठा: सी०वी०एस०इ० / १५६३-७० / 2014-15 दिनांक उक्ताब्दी।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01 संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन, शिक्षा अनुभाग, लखनऊ।

02 शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

03 जिलाधिकारी, बरेली।

04 संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली मण्डल, बरेली।

05 जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली।

06 प्रबन्धक, / प्रधनाचार्य नालंदा पश्चिम स्कूल ढोहरा रोड पीलीभीत वाईपास बरेली। (७१८)

07 निरीक्षक, जांगल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक

बरेली मण्डल, बरेली।